ऑनलाइन फाइल करें प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न

नगर निगम में पहली बार मिल रही यह सुविधा

भास्कर न्यूज . पटना

अब घर बैठे ही आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए कोई माथापच्ची नहीं करनी होगी। बस ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते समय अपने घर के बारे में तीन-चार महत्वपूर्ण जानकारी दें, उसके बाद कितना टैक्स पे करना है, उसकी गणना ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। पहली बार पटना नगर निगम में यह सेवा शुरू की गई है। ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए वेबसाइट पूरी तरह तैयार हो गया है। रिटर्न भरने वाले लोगों को नोटिस संख्या और प्रॉपर्टी आईडी मिलने के 15 दिनों में रिटर्न फाइल करना होगा।

चालान जेनरेट होने के बाद यहां जमा कर सकते हैं टैक्स

प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन करते समय चालान जेनरेट होने के बाद नागरिक सुविधा केंद्र, नगर निगम कार्यालय, पीएनबी या एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जाकर टैक्स जमा कर सकते हैं। एक नोटिस नंबर के विरुद्ध सिर्फ एक बार प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने की सुविधा मिलेगी।

कहां से भर सकते हैं

प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न अपने घर से इंटरनेट के माध्यम से इस वेबसाइट ptax.nagarseva.in पर जाकर भर सकते हैं । इसके अलावे नागरिक सुविधा केंद्र या नजदीकी साइबर कैफे के माध्यम से फाइल कर सकते हैं।

कैसे भरें

- वेबसाइट ओपन करने के बाद सलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में पटना एवं सलेक्ट अरबन लोकल बॉडी में पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनें।
- फाइल पीटीआर को सलेक्ट कर एवं अपनी नोटिस संख्या टाइप कर सबमिट बटन क्लिक करें
- नए पेज पर अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित सभी जानकारी सही-सही भर कर सबमिट करें। इसके बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करें।
- नए पेज पर जाने के बाद भरी गई जानकारी की पुष्टि कर लें। यदि सारी जानकारी सही है तो सेव कर लें।
- सेव करने के बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, कोड को टाइप कर कंफर्म बटन क्लिक करें।
- कंफर्म करने के बाद आपका रिटर्न दाखिल होना सुनिश्चित होगा एवं आप रिटर्न की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हैं।
- हार्ड कॉपी को प्रिंट कर एवं उस पर साइन कर निर्धारित समय सीमा के अंदर उसे निगम के संबंधित अंचल को भेज दें। हार्ड कॉपी की प्राप्ति नहीं होने पर रिटर्न पूर्ण नहीं माना जाएगा।

कर संग्राहकों को दी गई ट्रेनिंग

पटना नगर निगम के सभी कर संग्राहकों को निगम मुख्यालय में बुलाकर शनिवार को विशेष ट्रेनिंग दी गई। कर संग्राहकों को बताया गया कि कैसे ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न फाइल करना है और लोगों को इसके बारे में कैसे जागरुक करना है। लोगों को ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में किसी तरह की कोई परेशानी न आए इसका विशेष ख्याल रखना होगा। जिन लोगों को फॉर्मेट समझ में न आए उन्हें पूरी प्रक्रिया के बारे में अच्छे तरीके से बताना होगा। घर-घर जाकर रिटर्न फाइल करने के लिए निगम द्वारा बनाए गए फॉर्मेट और नोटिस देना अनिवार्य है। इस मौके पर नगर आयुक्त कुलदीप नारायण, आईटी विशेषज्ञ, स्पर प्रवीण झा, रेवेन्यू एंड फाइनेंस विशेषज्ञ प्रणव कुमार झा सहित निगम के कर संग्राहक मौजूद थे।

लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है

लोगों की सुविधा के लिए निगम में प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत रिटर्न फाइल कराने के लिए लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। रिटर्न फाइल करने के बाद ही अब होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं। **कुलदीप नारायण,** नगर आयुक्त

jagran.com